सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : एस॰एस॰वि॰वि॰/कु॰स॰ 4446 /2020 दिनाङ्क : 15 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

संख्या– 130 /सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त सदस्य,
   न्यूनतम समान पाठ्यक्रम
   राज्य स्तरीय समिति।

2. समस्त सदस्य,
   न्यूनतम समान पाठ्यक्रम
   सुपरवाइजरी समितियाँ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2021**

विषयः न्यूनतम समान पाठ्यक्रम पुनर्संरचना/निर्माण हेतु सभी विषयों के पाठ्यक्रमो पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्संरचना/निर्माण हेतु अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में पांच संकायो की सुपरवाइजरी समितियों द्वारा विषय समूह के साथ सभी विषयों के पाठ्यक्रमों पर कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्नवत दिशा–निर्देशों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय :–

1. सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) से संबंधित रखा जाएगा।
2. स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा दिया जाए जिसके लिए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में Research orientation को जोड़ा जाए तथा तृतीय वर्ष में प्रोजेक्ट वर्क रखा जाए। अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल 50–50% होना चाहिए।
3. सभी पाठ्यक्रमों की रेफरेंस लिस्ट में हिंदी लेखकों की पुस्तकें भी जोड़ी जाएं, जिससे छात्रों को द्विभाषी पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके ।
4. मुख्य विषयों के अतिरिक्त लाइब्रेरी साइंस एवं अन्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भी विषय विशेषज्ञों के समूह बनाए जाएं। इन पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों का चयन संबंधित संकाय के एंकर अपनी समिति के सहयोग से करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य स्तरीय समिति को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे।
5. अद्यतन बनाए गए स्नातक स्तर के सभी विषयों एवं कंपलसरी कोर्स के पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर विशेषकर राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक अपने सुझाव दे सकें। प्राप्त फीडबैक को राज्य समिति एवं संबंधित एंकर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। एंकर संबंधित विषय के विशेषज्ञ से चर्चा कर सुझावों को यथावश्यक पाठ्यक्रम में

सम्मिलित करेंगे तथा अंतिम रूप से पाठ्यक्रम फाइनल कर उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को ई–मेल hesection.3@gmail.com पर विलम्बतम 31 जनवरी, 2021 तक उपलब्ध करा दें।

6. समस्त पाठ्यक्रमों के निर्धारण/पुनर्संरचना की समय सारणी निम्नवत होगी :–

पाठ्यक्रम निर्धारण समयावधि (Timelines)

• प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक सभी विषयों/ के प्रथम तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) का पाठ्यक्रम निर्धारण	31.0.2021
• स्नातक के सभी विषयों के चौथे वर्ष (7th-8th Semester) का पाठ्यक्रम निर्धारण	31.03.2021
• बी॰एड॰ पाठ्यक्रम निर्धारण	31.03.2021
• अनिवार्य विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारण	30.04.2021
• स्नातकोत्तर के सभी विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारण	31.05.2021
• पी-एच॰डी॰ कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम निर्धारण	30.06.2021

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 138 (1)/सत्तर–3–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि समस्त शिक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों को इस आशय से कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालयीय वेब-साइट पर अपलोड एवं समस्त सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों को उनके लागिन आई॰डी॰ के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें।
7. सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी
15/01/21